



श्रीमती विद्याबाई पत्नि श्री कैलाशचन्द यादव, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री सौभाग्यमल वक्तावत, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य
--	------	--

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. ...194..... सन 2018 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2018	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील अपीलान्त की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्त के पक्ष का होना प्रतीत होता है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े, इस हेतु प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 28.11.2018 तक वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने एवं यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। रेस्पोंडेन्ट्स को सम्मन/नोटिस जारी हो। तहत का अभिलेख प्राप्त किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2018 को पेश हो।	
27.11.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त व अपीलार्थीजब उपस्थित होकर आगामी पेशी दिनांक 28.11.2018 को नियत पत्रावली को आज दिनांक 27.11.2018 को सुनने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार कर प्रस्तावित दिनांक 27.11.2018 को सुना गया। वकील अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र वाले शर्जीनामा के आधार पर अपील विद्दे दिये जाने वाले प्रमाण दिशा में नुकी वकील अपीलान्त व अपीलार्थीजब स्वयं उपस्थित होकर पक्षकारों के मध्य शर्जीनामा होने अपील इसी स्तर पर विद्दे दिये जाने का निवेदन किया है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा रहा है। अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अतः पत्रावली केमत शुमार होकर नम्बर ले कर हो।	<p>विद्या</p> <p>कला</p> <p>शक्ति</p> <p>संतोष देवी</p> <p>Id. by me</p> <p>शुभम</p> <p>0-5 शक्तावत</p> <p>85</p>